an>

Title: Regarding fixing of minimum wages for employing youths with prorfessional/technical degrees like engineering, MBA etc.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, कुशल-अकुशल मज़दूर के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित है। उसके अनुसार अगर उन्हें वेतन भुगतान न किया जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन, यह देश का दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान में हजारों-लाखों ऐसे इंजीनियरिंग पास लोग हैं, बी.टेक., एम.टेक. या प्रोफेसनल शिक्षा प्राप्त लोग हैं, जैसे एमबीए की शिक्षा लिए हुए हैं, उनके लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं है। ऐसे इंजीनियर नौजवानों को इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी पन्द्रह हजार रुपये मज़दूरी पर मज़दूर के जैसे काम करना पड़ता है। यह उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, दक्षता का अपमान है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन इंजीनियरिंग पास नौजवानों के लिए भी कम से कम 25,000 रुपये महीना वेतन निर्धारित की जाए, इसके लिए कानून बनाएं और सभी कंपनियों पर और सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों पर इसे लागू करें कि किसी भी इंजीनियर लड़के को 25,000 रुपये से कम पर भर्ती नहीं की जाएगी। अगर कहीं ऐसा है तो उसे बढ़ाकर इस स्तर पर भुगतान करें, यही मेरी प्रार्थना है।